



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17122025-268581
CG-DL-E-17122025-268581

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5636]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 17, 2025/अग्राहायण 26, 1947

No. 5636]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 17, 2025/AGRAHAYANA 26, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5831(अ).—केंद्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनीज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार के आर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में, तमिलनाडु राज्य क्षेत्र के भीतर तक अधिनियम के अधीन, कोची सेलम पाइपलाइन प्राइवेट लिमिटेड (केएसपीपीएल) की कोची कोयम्बटूर सेलम एल पी जी पाइपलाइन के लिए, तमिलनाडु राज्य में सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए केएसपीपीएल ने प्रतिनियुक्ति पर का.आ. 2186 दिनांक 25/11/2024 भारत के राजपत्र संख्या 48 दिनांक 01/12/2024 के अंतर्गत अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी श्रीमती एम कोहिला, डिप्टी कलक्टर, के स्थान पर श्री पी दुरैसामी, डिप्टी कलक्टर, जिनकी नियुक्ति नोडल अधिकारी कोची सेलम पाइपलाइन प्रोजेक्ट कोयम्बटूर है, को प्राधिकृत करती है।

यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. आर-12031/1/2021-ओआर-II/ई-39085]

शशि शेखर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th December, 2025

S.O. 5831(E).—In pursuance of clause (a) of section 2 of the petroleum and mineral pipelines (acquisition of right of user in land) Act, 1962(50 of 1962), the Central Government hereby authorizes Sri P Duraisamy, Deputy Collector, in place of earlier notified competent authority Smt M Kohila, Deputy Collector Vide S.O. No. 2186 dated 25/11/2024 published in Gazette of India No. 48 dated 01/12/2024 on deputation to Kochi Salem Pipeline Private Limited (KSPPL), who is appointed as Nodal Officer for Kochi Salem Pipeline Project Coimbatore, to perform the functions of the Competent authority, in the state of Tamilnadu for Kochi Salem Pipeline Private Limited's Kochi-Coimbatore-Salem LPG Pipeline under the said act.

This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. R-12031/1/2021-OR-II/E-39085]

SHASHI SHEKHAR SINGH, Under Secy.